संख्या:–2079 /उन्तीस/04/02–(14पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग   देहरादून: दिनांक 22 सितम्बर, 2004

विषय अल्मोड़ा जलोत्सारण योजना जोन–।।। के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय,भारत सरकार,सीपीएचईईओ के पत्र सं0– क्यू–12047/1/2004–सीपीएचईईओ,दिनांक 07 जुलाई, 2004 द्वाराअल्मोड़ा जलोत्सारण योजना जोन–।।। के प्राक्कलन रू0 810.00 लाख पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है । भारत सरकार से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के कम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त योजना पर चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यय हेतु रू0 4,00,00,000/–(रू0 चार करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल देहरादून कोषागार मे प्रस्तुत करके यथा आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी एव आहरण से सम्बन्धित वाउचर एंव दिनांक की सूचना आहरण के तुरन्त बाद शासन एंव महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी ।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है । ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध मे तकनीकी स्वीकृति नहीं है अथवा विवादग्रस्त है ।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा मे दिनांक 31 मार्च 2005 तक किया जाना सुनिश्चित करें । कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्वता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एंव मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे ।

कमशः...2

6– कार्यो मे सैंटेज चार्जेज वर्तमान मे प्रचलित शासकीय दर से नियमानुसार ही लिया जायेगा जो कि किसी भी दशा मे 12.5 प्रतिशत से अधिक नही होगा । यदि इससे अधिक सैंटेज चार्जेज लिया जाना पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेग ।

7– सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमो का पालन आवश्यक है । जिन मदो का प्राविधान बाजार भाव से किया गया है उनका क्रय नियमानुसार ही किया जायेगा ।

8– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल और फाइनैन्शियल हैण्डबुक नियमो तथा स्थाई आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

9– उक्त योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग होने तथा वित्तीय एवंभौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्राप्त होने के उपरान्त ही अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

10– व्यय करते समय बजट मैनुअल ,वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोर परचेज रूल्स ,डी0जी0,एस0एंड डी0,टेंडर और अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

11 यदि वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई धनराशि अवशेष रहती है और वह बैंक में रखी जाती है तो उप पर समय–समय पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करके उसकी सूचना शासन को भी दे दी जायेगी।

12– उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के विपरीत कार्य की मासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जाता रहेगा और योजना के पूर्ण होने पर इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार/भारत सरकार को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 मे अनुदान सं0–13 केअंर्तगत लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मल निकासी एंव सफाई– आयोजनागत– 107–मल निकासी सेवायें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना– 0101– अल्मोड़ा मे सीवरेज सिस्टम का निर्माण (100%के0स0) –42–अन्य व्यय "के नामे डाला जायेगा ।

8– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–1215/वि0अनु0–3/ 2004 दिनांक 18 सितम्बर,2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमशः–3

संख्याः–2079 (1)/उन्तीस/04/02–(14पे0)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून ।
2– आयुक्त,कुमायूँ मण्डल नैनीताल ।
3– जिलाधिकारी देहरादून/अल्मोड़ा
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून ।
5– मुख्य अभियंता,उत्तरांचल पेयजल निगम (कुमायूँ) नैनीताल ।
6– मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जलसंस्थान,देहरादून ।
7– वित्त अनुभाग–3/वित्त बजट सैल/नियोजन अनुभाग ।
8– उपसलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय,भारत सरकार,सीपीएचईईओ,निर्माण भयन नई दिल्ली ।
9– निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी ।
10– निदेशक एन0आई0सी0सचिवालय परिसर,देहरादून ।

आज्ञा से

(कुवर सिंह)
अपर सचिव